आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 290/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2013-14

आयकर उपायुक्त 3(1), भोपाल	बनाम	मे. नर्मदा स्विचगियर प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 3, गोविंदपुरा भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं-एएबीसीएन 0635 एन PAN- AABCN0635N		

विभाग की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से	श्री विनोद जोशी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	13.06.2024
उद्घोषणा तिथि	13.06.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित विभाग की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर उपायुक्त/सहायकर आयकर आयुक्त-3(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 04.03.2016 से उद्भूत है ।

2. इस अपील की सुनवाई के आरंभ में ही, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के ऊपर संदर्भित आदेश दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष

अपील आ.अ.सं. 307/इंदौर/2020 दाखिल की गई थी जिसे माननीय न्यायपीठ द्वारा 03.02.2023 के द्वारा खारिज किया गया था । विभाग अधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध विविध आवेदन दाखिल करने का इच्छुक था परंतु भूलवश विभाग द्वारा फिर से अपील दाखिल कर दी गई जो आ.अ.सं. 290/इंदौर/2023 के रूप में पंजीकृत की गई थी । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि वर्तमान अपील आ.अ.सं. 290/इंदौर/2023 Duplicate Appeal होने के कारण निष्फल (infructuous) है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि विचाराधीन अपील को निष्फल (infructuous) होने के कारण खारिज किया जाता है ।

3. हमने विद्वान विभागीय प्रतिनिधि के निवेदनों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया । हमने पाया कि विभाग द्वारा भूलवश विविध आवेदन के स्थान पर वर्तमान अपील दाखिल की गई है । अतः आ.अ.सं. 290/इंदौर/2023 निष्फल (infructuous) होने के कारण खारिज करने योग्य हैं । तदनुसार हम विभाग की इस अपील को खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, विभाग की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 13.06.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 13.06.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल